अधिसूचना

सं0 6/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015.

सा.का.नि. (अ).-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिननयम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 42/2008–केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2008 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 492(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,

(i) प्रथम पैरा में,--

(क) "पैकिंग मशीन की सहायता से" शब्दों से आरंभ होने वाले और "विनिर्दिष्ट किया गया है" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "सारणी 1 के यथास्थिति, स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) में यथा विनिर्दिष्ट श्रंखला में ऐसी अधिकतम पैकिंग गति वाली पैकिंग मशीनों की सहायता से जिस गति से वे ऐसे विनिर्दिष्ट माल की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट खुदरा विक्रय कीमत वाले पाउचों में पैक किए जाते हैं, विनिर्मित और पाउचों में पैक स्तंभ (3क) या स्तंभ (3ख) या स्तंभ (4क) या स्तंभ (4ख) या स्तंभ (5क) या स्तंभ (5ख) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क की दरें" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) सारणी 1 और दृष्टांत के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"सारणी – 1

क्रम सं0	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर (रुपए लाख में)					
		प्रति मिनट 300 पाउचों तक		प्रति मिनट 301 से 750 पाउचों तक		प्रति मिनट 750 पाउच और उससे अधिक	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
		पान मसाला	**तम्बाकू वाला पान मसाला**	**पान मसाला**	**तम्बाकू वाला पान मसाला**	**पान मसाला**	**तम्बाकू वाला पान मसाला**

		(3क)	(3ख)	(4क)	(4ख)	(5क)	(5ख)
1.	1.00 रु0 तक	17.30	29.52	28.30	48.30	62.90	107.33
2.	1.01 रु0 से 1.50 रु0 तक	25.95	44.27	42.46	72.45	94.35	160.99
3.	1.51 रु0 से 2.00 रु0 तक	32.86	56.08	53.78	91.77	119.51	203.92
4.	2.01 रु0 से 3.00 रु0 तक	49.30	84.12	80.67	137.65	179.26	305.88
5.	3.01 रु0 से 4.00 रु0 तक	63.65	108.62	104.16	177.74	231.47	394.97
6.	4.01 रु0 से 5.00 रु0 तक	79.57	135.77	130.20	222.17	289.34	493.71
7.	5.01 रु0 से 6.00 रु0 तक	95.48	162.92	156.24	266.60	347.20	592.45
8.	6.00 रु0 से अधिक	95.44+ **15.57*** (**की**-6)	162.92+ 26.56* (**की**-6)	156.24+ 25.47* (**की**-6)	266.60+ 43.47* (**की**-6)	347.20+ 56.61* (**की**-6)	592.45+ 96.60* (**की**-6)
		जहां ऊपर 'की' पाउच की वह खुदरा विक्रय कीमत प्रदर्शित करता है, जिस पर शुल्क दर अवधारित की जानी है ।					

दृष्टांत: किसी पान मसाला पाउच के लिए, जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 8.00 रु0 (अर्थात् 'की') है और जिसे किसी ऐसी मशीन की सहायता से पैक किया गया है जिसकी वह अधिकतम गति जिस पर वह उक्त खुदरा विक्रय कीमत वाले पान मसाला पाउच की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है, 600 पाउच है, प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर 156. 24+ 25.47x(8-6) लाख रुपए = 207.18 लाख रुपए होगी ।

(ii) पैरा 2 में "पैकिंग मशीनों की संख्या" शब्दों के स्थान पर "पैकिंग मशीनों की संख्या और ऐसी अधिकतम पैकिंग गति जिसपर मशीन विभिन्न खुदरा विक्रय कीमत वाले विनिर्दिष्ट माल की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है" शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) पैरा 3 में सारणी 2 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी-2

क्रम सं0	शुल्क	अविनिर्मित तंबाकू के लिए शुल्क अनुपात	चबाने वाला तंबाकू के लिए शुल्क अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन उदग्रहणीय शुल्क	0.3556	0.814
2	वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के अधीन	0.1333	0.0698

	उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क		
3	वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय राष्ट्रीय विपत्ति समाश्रित शुल्क	0.5111	0.1162
4	वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 के अधीन उदग्रहणीय शिक्षा उपकर	0.0	0.0
5	वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0	0.0"

[फा.सं0 334/5/2015-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 42/2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 492(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 16/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि.447(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।